समक्ष

आर.एन.मित्तल माननीय न्यायमूर्ति

कृष्ण लाल-याचिकाकर्ता,

बनाम

गुलाब राम, प्रतिवादी.

1983 की सिविल पुन:निरीक्षण क्रमांक 560

27 मार्च 1984

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V) - धारा 151 - अदालत के समक्ष पार्टियों के बीच कथित समझौता हुआ - धोखाधड़ी के आधार पर समझौते को रद्द करने के लिए धारा 151 के तहत आवेदन करने वाली एक पार्टी- अदालत ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि न्यायालय पर भी धोखाधड़ी हुई है - पीड़ित पक्ष - क्या समझौते को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करना चाहिए - समझौते को रद्द करने के लिए धारा 151 के तहत आवेदन - क्या सुनवाई योग्य है।

ये निर्धारित किया गया कि यदि किसी मुकदमे में एक पक्ष समझौते के आधार पर न्यायालय से अनुकूल आदेश प्राप्त करता है, जिसके बारे में दूसरे पक्ष का आरोप है कि इसे धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, तो गलत पक्ष एक सूट करके समझौता के निवारण की मांग कर सकता है, लेकिन अगर पार्टी न्यायालय के साथ भी धोखाधड़ी खेलती है तो उसी न्यायालय के पास धारा 151, नागरिक

प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मामले से निपटने और पीड़ित पक्ष के आवेदन पर राहत देने की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं और उक्त पक्ष के लिए ग़लती को ठीक कराने के लिए मुक़दमा संस्थित करना आवश्यक नहीं है।

(पैरा 6)

धारा 115, सी.पी.सी. के तहत याचिका, श्री डी. डी. यादव, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र की अदालत के 31 जनवरी, 1983 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, जिसमें विवाद में समझौते को रद्द कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जी. आर. मजीठिया, अधिवक्ता अरुण सांघी के साथ।

प्रतिवादी की ओर से बी.एम. बेदी, अधिवक्ता।

निर्णय

राजेंद्र नाथ मित्तल, न्यायमूर्ति

(1) यह पुनरीक्षण याचिका डिक्री धारकों में से एक कृष्ण लाल द्वारा निष्पादन न्यायालय, कुरूक्षेत्र के 31 जनवरी 1983 के फैसले के विरुद्ध दायर की गई है।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि 29 जनवरी, 1962 को, अयोध्या प्रशाद ने गुलाब राम, कृष्ण लाल और जोगिंदर देव के साथ विवादित भूमि के संबंध में बिक्री का एक समझौता किया। समझौते के आधार पर, कृष्ण लाल और गुलाब राम ने

जोगिंदर देव को प्रोफार्मा प्रतिवादी के रूप में शामिल करते हुए विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा दायर किया। 29 अप्रैल, 1968 को न्यायालय द्वारा उस मुकदमे का डिक्री कर दिया गया। कृष्ण लाल ने निर्णय देनदार के विरुद्ध डिक्री निष्पादित करवा दी। बाद में, गुलाब राम ने संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करते हुए कृष्ण लाल के खिलाफ निष्पादन न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। आरोप है कि आवेदन के लंबित रहने के दौरान उनके बीच समझौता हो गया और 25 अप्रैल 1979 को इस आशय का एक पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। गुलाब राम के आवेदन को समझौते के मद्देनजर और श्री ए. पी. विज एडवोकेट, जो गुलाब राम की ओर से उपस्थित थे, के बयान को देखते हुए वापस ले लिया गया मानकर उसी दिन यानि 25 अप्रैल 1979 को खारिज कर दिया गया।

(3) बताया जाता है कि मामले में निर्धारित तारीख 19 मई 1979 को गुलाब राम अदालत में आये लेकिन उनका आवेदन नहीं हो सका और रीडर ने उन्हें किसी अन्य तारीख पर आने को कहा। 15 जून, 1979 को वे पुनः न्यायालय आये। उस दिन उन्हें सूचित किया गया कि उनका आवेदन 25 अप्रैल, 1979 को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था। प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने के बाद उन्होंने 25 अप्रैल, 1979 के आदेश को रद्द करने के लिए 23 जुलाई, 1979 को एक आवेदन दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि उन्होंने कृष्ण लाल के साथ कोई समझौता नहीं किया और न ही उन्होंने श्री ए.पी. विज, वकील को प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त किया। मामले में

उन्होंने आगे कहा कि समझौता विलेख एक झूठा और काल्पनिक दस्तावेज था और कृष्ण लाल द्वारा धोखाधड़ी की गई थी। आवेदन की सूचना कृष्ण लाल को दी गयी, जिन्होंने उपस्थित होकर गुलाब राम के आरोपों का खंडन किया। पार्टियों की दलीलों पर, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए-

(1) क्या वर्तमान आवेदन अनुरक्षणीय है?

(2) क्या प्रतिवादी ने धोखाधड़ी की है जैसा कि आवेदन में आरोप लगाया गया है?

(3) क्या प्रश्नगत समझौता और श्री ए. पी. विज के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी झूठी और काल्पनिक थी?

(4) राहत.

(4) विद्वान निष्पादन न्यायालय ने माना कि आवेदन कायम रखने योग्य था; कि कृष्ण लाल ने धोखाधड़ी की, कि गुलाब राम ने मामले में श्री ए.पी. विज को अपने वकील के रूप में शामिल नहीं किया और श्री ए.पी. विज के पक्ष में अटॉर्नी की शक्तियां और समझौता झूठे और काल्पनिक दस्तावेज थे। उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, न्यायालय ने 25 अप्रैल, 1979 के आदेश को रद्द कर दिया। कृष्ण लाल इस न्यायालय में उक्त आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण में आए हैं।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मजीठिया ने तर्क दिया कि गुलाब राम के लिए उचित उपाय मुकदमा दायर करना था, न कि 25 अप्रैल, 1979 तारीख

के आदेश को रद्द करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन दायर करना। उन्होंने आगे कहा कि उस पाठ्यक्रम को अपनाने से, याचिकाकर्ता को अपील के समाधान से वंचित कर दिया गया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **केवल कृष्ण बनाम शिव कुमार और अन्य**[1] पर भरोसा जताया।

(6) मैंने विद्वान वकील के तर्क पर उचित विचार किया है। निष्पादन न्यायालय साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गुलाब राम ने कथित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए और न ही उन्होंने श्री ए.पी. विज को अपने वकील के रूप में न्यायालय में समझौता प्रस्तुत करने और अपना आवेदन खारिज कराने के लिए नियुक्त किया। कहा जाता है कि श्री ए.पी. विज की नियुक्ति गुलाब राम ने कृष्ण लाल और समझौते के गवाहों की उपस्थिति में की थी। श्री ए.पी. विज गवाह-बक्से में उपस्थित हुए और कृष्ण लाल को उन व्यक्तियों में से एक के रूप में पहचाना जो कथित समझौता और 'पावर ऑफ अटॉर्नी' सौंपने के समय उनके पास आए थे। हालाँकि, अदालत में उपस्थित गुलाब राम के संबंध में उन्होंने कहा कि वह वही व्यक्ति नहीं हैं जो 24 अप्रैल, 1979 को गवाहों के साथ उनके पास आए थे और खुद को गुलाब राम के रूप में पेश किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कथित गुलाब राम ने उनकी उपस्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी और कथित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। उपरोक्त कथन और न्यायालय द्वारा देखी गई विभिन्न अन्य परिस्थितियों से, यह स्पष्ट है कि

[1] ए.आई.आर.1970 पंजाब और हरियाणा 176

गुलाब राम ने कृष्ण लाल के साथ कोई समझौता नहीं किया और कथित समझौता एक मनगढ़ंत दस्तावेज था। यह भी स्पष्ट है कि श्री विज को गुलाब राम ने अपनी ओर से अदालत के समक्ष उपस्थित होने और बयान देने के लिए अधिकृत नहीं किया था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाला गया तथ्य अप्राप्य है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि कृष्ण लाल ने न केवल गुलाब राम के साथ, बल्कि न्यायालय के साथ भी धोखाधड़ी की है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि किसी मुकदमे में पार्टियों में से एक को समझौते के आधार पर अदालत से एक अनुकूल आदेश प्राप्त होता है, जिसे दूसरे पक्ष ने धोखाधड़ी से प्राप्त करने का आरोप लगाया है, तो पीड़ित पक्ष एक मुकदमा स्थापित करके निवारण की मांग कर सकता है। लेकिन यदि पक्ष न्यायालय के साथ भी धोखाधड़ी करता है, तो उसी न्यायालय के पास नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत मामले से निपटने, पीड़ित पक्ष के आवेदन पर राहत देने की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं और उक्त पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह गलती को ठीक कराने के लिए मुकदमा दायर करे।

(7) उपरोक्त दृष्टिकोण में, मैं **चुटुर प्रसाद साह बनाम मास्टर बिश्नुई खेर और अन्य**[2] में पटना उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच के फैसले से मजबूत हुआ हूं, जिसमें यह देखा गया था कि एक पक्ष के साथ धोखाधड़ी और अदालत के साथ धोखाधड़ी के बीच एक अंतर है। एक न्यायालय न तो समीक्षा में और न ही

[2] ए.आई.आर.1943 पटना 13

अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत किसी समझौता डिक्री को इस आधार पर रद्द करना कि समझौते के पक्षकारों की सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी सक्षम है। घायल पक्ष का एकमात्र उपाय धोखाधड़ी के आधार पर डिक्री को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करना है। लेकिन जहां सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में सहमति थी, तो न्यायालय इसके अंतर्निहित पक्ष के तहत आता है शक्तियां धारा 151 के तहत एक आवेदन पर मामले की जांच कर सकती हैं और समझौता डिक्री को रद्द कर सकती हैं यदि यह पाया जाता है कि पीड़ित पक्ष ने वास्तव में समझौते के लिए सहमति नहीं दी थी। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा **श्री भगवान सरूप शर्मा बनाम श्री प्रेम कुमार और अन्य** में लिया गया था जिसमें यह माना गया था कि यह वह न्यायालय जिसके आदेश को धोखाधड़ी के आधार पर रद्द करने की आवश्यकता है, जिसे स्थानांतरित किया जाना है और उस न्यायालय के पास अपना आदेश रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है। मैं उपरोक्त टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। **केवल कृष्ण का मामला** (सुप्रा) जिस पर श्री मजीठिया ने भरोसा जताया है, अलग है। उस मामले में आरोप था कि जबरदस्ती सहमति ली गयी थी। न्यायालय पर किसी धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया गया था। उक्त परिस्थितियों में यह माना गया कि उचित उपाय एक मुकदमा दायर करना था, न कि अपील या उस डिक्री के खिलाफ समीक्षा के लिए आवेदन या धारा 151 या संहिता की धारा 152 के तहत एक आवेदन। मेरे विचार में, विद्वान वकील को उसमें दी गई टिप्पणियों से कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

(8) उपरोक्त कारणों से, मुझे पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती और मैं इसे खारिज करता हूं। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।